एस0एन0डी0 2015-16

वित्तीय स्वीकृति (आयोजनागत)

संख्या-93/2015/643 /एक-5-2015-17/2015 टी0सी0

प्रेषक,

गिरीश चन्द्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-5 **लखनऊः दिनांक 08 जून, 2015**

विषयः-रिट याचिका संख्या-17377/2009 पल्टूराम बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 04 फरवरी, 2015 के अनुपालन के क्रम में प्रतिकर की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-आरंजी 133/जी-5-17ए/15, दिनाक-27-03-2015 एवं जिलाधिकारी सिद्वार्थनगर के पत्र संख्या-231/आठ-वि0भू0अ0अ0/सि0नगर/2015-16 दिनांक-29-04-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रिट याचिका संख्या 17377/2009पल्टूराम बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 04-02-2015 के अनुपालन में गाटा संख्या-282 क्षेत्रफल 0.017 हे0 भूमि के प्रतिकर का भुगतान किये जाने हेतु कुल धनराशि रू0-10,88,000/- (रूपये दस लाख अठठासी हजार मात्र) की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) राजस्व परिषद द्वारा उक्त धनराशि नियमानुसार आहरित कर याचिकाकर्ता/ प्रभावित/पात्र व्यक्ति को आवंटित/भुगतान किये जाने हेतु /जिलाधिकारी, सिद्वार्थनगर को उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) राजस्व परिषद/जिलाधिकारी, सिद्वार्थनगर द्वारा उक्त धनराशि आंवटित/भुगतान किये जाने से पूर्व शुद्व रूप में देय धनराशि आंकलित कर आवंटित/भुगतान की जायेगी।

(3) जिलाधिकारी, सिद्वार्थनगर द्वारा याचिकाकर्ता/प्रभावित/पात्र व्यक्ति को धनराशि का आवंटन/भुगतान वित्तीय नियमों के अधीन अविलम्ब सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) याचिकाकर्ता/प्रभावित/पात्र व्यक्ति को धनराशि आवंटित/भुगतान करने के बाद यदि धनराशि शेष बचती है तो उसे नियमानुसार राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित कराया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-50 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01-सरकारी रिहायशी भवन-106 साधारण पूल आवास-03-आवासीय भवन-0301-प्रदेश के मण्डल/जनपद/तहसीलों के आवासीय भवनों के नवनिर्माण/पुर्ननिर्माण/विस्तार/सुदृढ़ीकरण एवं भूमि क्रय हेतु एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 के द्वारा दिये गये दिशानिर्देशों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
गिरीश चन्द्र
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-93/2015//643/एक-5-2015-17/2015 टी0सी0, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

3- कोषाधिकारी, लखनऊ।

4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5

5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

6- जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर।

7- राजस्व अनुभाग-6/गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,
गिरीश चन्द्र
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।